राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 📠 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः– निसंशि/शैक्ष– I/पं.126 A/रक्तदान/2017/ 1365-1414 दिनांकः– 13/9/2017

आदेश

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती के अवसर पर 25 सितम्बर को राजकीय/निजी महाविद्यालयों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.09.2017 को माननीय उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदया एवं माननीय चिकित्सा मंत्री की अध्यक्षता में शासन सचिवालय, समिति कक्ष–2 में तैयारी बैठक आयोजित की गई। इन शिविरों के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

क्र. सं.	क्रियान्विति बिन्दु	क्रियान्विति स्तर	निर्धारित समय सीमा
1.	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा रक्तदान दिवस(25 सितम्बर) पर शिविर आयोजित करने हेतु निर्धारित समयानुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय /निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	13 सितम्बर
2.	रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जावें, जिसमें जिले के सबसे बडे महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य सचिव हो तथा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समिति के सदस्य हों। यह समिति जिले में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन को सुनिश्चित करेगी। इस समिति द्वारा रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु एक्शन प्लान तैयार किया जावे। यह समिति रक्तदान शिविरों के आयोजन के संबंध में अपेक्षित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। इस कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 13.09.2017 से पूर्व कर ली जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान जिला स्तरीय समिति से सम्पर्क करें।	13 सितम्बर
3.	उपखण्ड स्तर पर रक्तदान शिविर के आयोजन हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावें। जिसमें उपखण्ड स्तर के सबसे बडे राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव के रूप में रहेगें एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके सदस्य होंगे। यह समिति जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा बनायें गये एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करेगी।	समस्त प्राचार्य राजकीय /निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान नोडल उपखण्ड स्तरीय समिति से एक्शन प्लान की जानकारी प्राप्त करेगें तथा व्यवस्था में सहयोग करेगें।	13 सितम्बर
4.	जिला स्तर पर जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संभाग स्तर पर सहायक निदेशक क्रमशः जिले/संभाग के अन्य महाविद्यालयों हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।	संयुक्त निदेशक, समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान नोडल का समन्वयक से निरन्तर सम्पर्क करने हेतु पाबंद	13 सितम्बर

42

		करेंगे।	
5.	आयुक्तालय उच्च शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध संकल्प पत्र के प्रारूप एवं रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी ब्रोशर के अनुसार रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	13 सितम्बर
6.	जागरूकता सप्ताहः राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में दिनांक 09. से 16 सितम्बर तक रक्तदान के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया जावे तथा चिकित्सा विभाग द्वारा रक्तदान करने के संबंध जारी ब्रोशर के अनुसार रक्तदान से होने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	13 से 19 सितम्बर
7.	समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा रक्तदाताओं से सकंल्प पत्र भरवाने का कार्य दिनांक 13 से 24 सितम्बर तक किया जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	13 से 24 सितम्बर
8.	सभी रक्तदाताओं की डिजिटल डायरेक्ट्री तैयार की जानी है तथ रक्तदाताओं का डोनर कार्ड बनाये जाने है। इस संबंध में स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पीएमओं से सम्पर्क कर यह कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। संकल्प पत्र विश्वविद्यालयों तथ महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी/प्राचार्यों द्वारा ऑफ लाईन भी भरवायें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	10 अक्टूबर तक
9.	रक्तदाता/विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एव ब्लड बैंक के प्रभारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जावें, एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को यह अवगत कराया जाये कि उनके द्वारा लगातार 3 सत्र तक राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंको में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकों महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश में एक प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय होगा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्तदाता को डोनर कार्ड भी उपलब्ध कराया जायेगा।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	30 सितम्बर
10.	राज्य के समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रक्तदान दिवस (25 सितम्बर) पर शिविर आयोजित करने के संबंध में एक रक्तदान समिति का गठन किया जावें। जिसमें एन.एस.एस., एन.सी.सी. स्काउट गाइड अधिकारी एवं अन्य व्याख्याता सदस्य हों एवं समिति का अध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय का कुल सचिव,/कॉर्डिनेटर हों।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	13 सितम्बर
11.	सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से रक्तदाताओं के संकल्प पत्रों की संख्या विश्वविद्यालयवार/महाविद्यालयवार एकत्र कर सीएमएचओ/पीएमओं को उपलब्ध करवायी जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	24 सितम्बर तक
12.	राजस्थान में 95 ब्लड बैंक की 100 टीमें है। अतः 95 संस्थानों (राजकीय महाविद्यालय, अभियान्त्रिकी, संस्कृत	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी	13 सितम्बर तक

	शिक्षा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में दिनांक 25 सितम्बर 2017 को रक्तदान शिविर आयोजित किये जायेगें। इस हेतु शिविर आयोजन स्थल वाले महाविद्यालय के समीपस्थ महाविद्यालयों का कलस्टर/समूह का गठन किया जावें।	संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	
13.	कलस्टर/समूह के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों के रक्तदाता निर्देशानुसार समीपस्थ शिविर में रक्तदान करेंगे। इस हेतु संबंधित महाविद्यालय में गठित रक्तदान समिति इनकी पहुंच सुनिश्चित करेगी एवं समिति सदस्य स्वयं भी शिविर में उपस्थित रहेंगे।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	
14.	रक्तदान हेतु संकल्पकर्ताओं को विश्वविद्यालयवार/महाविद्यालयवार 10-10 के ग्रुप बना के अलग-अलग समय दिया जावें ताकि एक साथ रक्तदान शिविर पर रक्तदाताओं की भीड़ एकत्र ना हों।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	
15.	रक्तदान शिविर स्थल का आयोजन बडे हॉल/कक्ष में किया जावें, जिसका फर्श पक्का तथा साफ सुथरा हो एवं रोशनी व हवा की उचित व्यवस्था हेतु बिजली एवं पंखों की समुचित व्यवस्था की जावें। प्रत्येक 10 रक्तदाताओं पर 1 बेड एक गद्दा व साफ चद्दर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। रक्तदान शिविर से एक दिन पूर्व एवं शिविर के दिन फिनाईल का पोछा आवश्यक रूप से लगवाया जावें।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	
16.	पीने के पानी हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जावे। रक्तदाताओं को रक्तदान से पहले पानी व दो केले एवं रक्तदान के पश्चात कॉफी/दूध/फ्रूट ज्यूस पैकेटस/ग्लूकोज बिस्किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जावे। इसके लिए रूपये 25/- प्रति रक्तदाता तक पुर्नभरण स्थानीय ब्लड बैंक द्वारा किया जावेगा। पुर्नभरण हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय द्वारा शिविर की फोटो, मेडिकल ऑफिसर के प्रमाण-पत्र की प्रति एवं प्राचार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य व्यय संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	
17.	रक्तदान दिवस को रक्तदान शिविर में रक्तदान हेतु विशेष रूप से एनसीसी/एनएसएस/स्काउट गाईड के स्वंयसेवक (Volunteers) अन्य विद्यार्थी का सहयोग प्राप्त किया जावे तथा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों के कार्मिक/अधिकारी रक्तदान हेतु रकतदाताओं को प्रेरित करेंगे तथा उन स्वयं से भी रक्तदान हेतु सहयोग अपेक्षित है।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान	
18.	जिला कलेक्टरर्स के साथ वी.सी. के लिये ग्रुप-4 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्रावली मूव की जावें।	ग्रप-4 उच्च शिक्षा विभाग	
19.	दिनांक 20.09.2017 को 95 नोडल अधिकारियों (राजकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी, संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों) की जयपुर में बैठक निर्धारित की जाये तथा उन्हें यह निर्देशित किया जाये की बैठक में आने से पूर्व संभावित रक्तदाताओं संख्या का आकंलन कर सूचना के साथ बैठक में उपस्थित हों।	आयुक्त कॉलेज शिक्षा	

20.	कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर रक्तदान कार्यक्रम का फोल्डर बनाया जावें तथा वेबसाईट पर एक पट्टिका चलाई जाये।	आयुक्त कॉलेज शिक्षा	
21.	इस कार्यक्रम में लिये सभी एनजीओं/सामाजिक संस्था यथा भारत विकास परिषद् लायंन्स क्लब, रोटेरी क्लब, सेवा भारती इत्यादि का अपेक्षित सहयोग लिया जायें।	समिति	

उक्त निर्देशों की पालना सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जावें।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांकः– निसंशि/शैक्ष– I/पं.126 A/रक्तदान/2017/1305–1414 दिनांकः 13/9/2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च, एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, एम.डी. एनआरएचएम,स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आपके विभाग से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी आचार्य/शास्त्री/शिक्षा शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर सकल्प पत्र एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ब्रोशर का उपयोग विभागीय आदेशानुसार करें। साथ ही दिनांक 20.09.2017 का नोडल अधिकारियों की (जहॉ रक्तदान शिविर आयोजित किये जायेगें) जयपुर में बैठक आयोजित की है। नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि बैठक में आने से पूर्व संभावित रक्तदाताओं की संख्या का आंकलन कर सूचना के साथ ही बैठक में उपस्थित होवें।
8. वेब साइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

(डॉ सत्यनारायण शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर